घर-घर औषधि योजना

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

ई–मेलः–ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांकःएफ.14(170/17)2017/एफसीए/प्रमुवसं./548 दिनांक 25/3/25

विशिष्ठ शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषयः–Diversion of 286.47 ha. of of forest land in favour of Executive Engineer, Water Resource Division III, Baran for construction of Hathiyadeh Medium Irrigation Project in Baran District, Rajasthan State.
(Proposal No. FP/RJ/IRRI/27263/2017)

संदर्भः–उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली के पत्रांक 8–34/2019–FC दिनांक 28.10.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आलोच्य प्रकरण में संदर्भित भारत सरकार के पत्र द्वारा जारी EDS का रिप्लाई मुख्य वन संरक्षक, कोटा द्वारा प्रेषित किया गया है। (प्रति संलग्न) मुख्य वन संरक्षक, कोटा की टिप्पणी से यह कार्यालय सहमत है। प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(के.सी.ए. अरूण प्रसाद)
अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

CamScanner

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Add. Near Chambal Rest House, Kishorpura Kota- 324009 E-Mail:- ccffdp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

क्रमांक एफ( )एफसीए / समुवसं / 2025-26 / 1057 दिनांक: 07/02/2025

निमित्त:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Prop[osal for Diversion of 286.47 ha of forest land in favour ofExecutive water Resource Division III ,Baran Construction of Hathiyadeh Medium Irrigation Project in Baran District.
Proposal no:- FP/RJ/IRRIG/27263/2017)

संदर्भ:- आपका पत्रांक 3777 दिनांक 24.12.2024 एवं उप वन संरक्षक, बारां का पत्रांक 554 दिनांक 03.02.2025 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि आप द्वारा जारी ई.डी.एस दिनांक 24-12-2024 से चाही गई रिपोर्ट संलग्न प्रेषित है।

SN	EDS Date 24.12.2024	Reply
1.	पालना अपूर्ण। यूजर एजेंसी द्वारा जल समागम योजना प्रस्तुत की गई है किंतु योजना उप वन संरक्षक एवं आप द्वारा तकनीकी रूप से जांच किया जाकर अनुमोदित हेतु अभिषंशा नहीं की गई है योजना में वृक्षारोपण मॉडल में दरे सही नहीं है वृक्षारोपण कहां होगा स्पष्ट नहीं है 126 वर्ग किमी क्षेत्र में किस आधार पर एनीकट, गेबियन स्ट्रेक्चर की संख्या आंकलित की गई है आदि को स्पष्ट नहीं किया गया है	अनुमोदित केट प्लान में प्रस्तावित कार्य विभागीय मॉडल अनुसार ही प्रस्तावित है। उक्त कैट प्लान को अनुमोदन हेतु वर्ष 2020 में तैयार किया गया था एव वृक्षारोपण माडल की दरे वर्ष 2020 की बी.एस.आर के अनुसार ली गई है। इस कैट प्लान के तहत उपचार की आवश्यकता वाला कुल क्षेत्रफल 121.65 वर्ग कि.मी. कुल कैचमैन्ट क्षेत्र 202.75 वर्ग कि.मी. के 60 प्रतिशत से अधिक के हिस्से को शामिल कर तैयार किया गया है।
2-	पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में पूर्व में उप वन संरक्षक बारां द्वारा प्रस्तावित गैर वन भूमि में जूलीफ्लोर की सघनता होने के कारण परिभाषित वन भूमि पर वृक्षारोपण चयनित किया गया था। किन्तु आप द्वारा प्रेषित प्रति उत्तर में उप वन संरक्षक द्वारा गैर वन भूमि में ही जूलीफ्लोरा हटाए जाने के बाद वृक्षारोपण किया जाना अंकित किया गया है उक्त बदलाव का कारण स्पष्ट नहीं है बार-बार सूचनाओ में बदलाव कर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है जिसे स्पष्ट किया जाना है प्रकरण में स्थल उपयुक्त अनुसार ही वृक्षारोपण योजना संलग्न की जानी प्रस्तावित है एवं पोर्टल पर अन्य योजनाएं जो संबंधित नहीं है उन्हें हटाया जाना प्रस्तावित है जूलीफ्लोरा हटाए जाने के संबंध में योजना के अंतर्गत राशि का प्रावधान नहीं रखा गया है क्षेत्र में वन्यजीवों के दृष्टिकोण से जूलीफ्लोरा हटाने के संबंध में तकनीकी नोट भी संलग्न नहीं किया गया है।	गत वर्षो में जूलीफ्लोरा की सघनता ज्यादा थी इसलिए उस वक्त तत्कालिन उप वन संरक्षक ने प्लान्टेशन (एन.एफ.एल.) में नही कर पाने का निवेदन किया था। उक्त भूमि गैर सरकारी भूमि है एवं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा लगातार जूलीफ्लोरा हटाया जाता रहा है इसलिए वर्तमान मे उक्त परियोजना के बदले दी गई वन भूमि पर (एन.एफ.एल.) पर शेष रहे जूलीफ्लोरा हटवाकर वृक्षारोपण करने के प्रस्ताव भेजे गये। विभागीय मॉडल अनुसार सी.ए. स्कीम संलग्न है। इस मॉडल अनुसार ही वृक्षारोपण करवाया जायेगा। जूलीफ्लोरा हटाने के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नही रहेगी।

CamScanner

	पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में ग्रामवार प्राप्त गैर वन भूमि का विवरण संलग्न नहीं किया गया है साथ ही वन संरक्षण एवं वन संवर्धन नियम 2023 के नियम 13 के अनुरूप छत्र घनत्व के अनुसार कोई टिप्पणी नही की गई है।	प्रस्ताव के [illegible] संलग्न कर दिया गया है। तथा छत्र घनत्व प्राप्त गैर वन भूमि का 0.3 से कम है।
4	पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक द्वारा पूर्व मे प्रेषित सूचना मे क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना नवीन क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना संलग्न की गई है जिसका कारण स्पष्ट नही है साथ ही पूर्व मे प्रेषित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना के दस्तावेजो को भी पोर्टल से नहीं हटाये गये है।	संपूर्ण भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एन.एफ.एल ही करवाया जाएगा डी.एफ.एल से संबंधित सभी दस्तावेज हटा दिए गए हैं
5	पालना अपूर्ण। यूजर एजेंसी द्वारा पार्ट I में में तकनीकी रिपोर्ट संलग्न की गई है किंतु उसमें वर्तमान फसल पैटर्न कुल लाभान्वित जनसंख्या भविष्य में फसल में बदलाव एवं इससे होने वाले सामाजिक आर्थिक लाभों को सूचना का अभाव है।	उक्त परियोजना के कियान्वयन से लगभग 54 गांवो की 6885 हेक्टर भूमि के फसल चक्र में सार्थक बदलाव होगा। पूर्व में जहा इस भूमि पर केवल वर्षा आधरित खरीफ फसल जैसे बाजरा, ज्वार इत्यादी की खेती की जाती थी। इस परियोजना के कियान्वन से वर्षा आधारित खरीफ फसल की उत्पादकता में वृद्धी होगी, साथ ही रबी की फसल गैहू चना सरसो इत्यादी हेतु अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र की काश्तकारो की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं क्षेत्र की 25 हजार अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार सहित लगभग 80000 जनसंख्या के समाजित एव आर्थिक स्तर में वृद्धी होगी क्षेत्र के भू जल स्तर में वृद्धी से परम्परागत जल स्त्रोंतो का भी दोहन कम होगा।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(सोनल जोरिहार)
वन संरक्षक (प्रबोधन एवं मूल्यांकन)
कोटा

क्रमांक एफ( )एफसीए/समुवसं/2025–26/
दिनांक:

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, बारां को सूचनार्थ प्रेषित है।

वन संरक्षक (प्रबोधन एवं मूल्यांकन)
कोटा

CS CamScanner

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No. 07453-230244

क्रमांक एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2024-25/554 दिनांक 03-02-2025

निमित्त–

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :- Prop[osal for Diversion of 286.47 ha of forest land in favour ofExecutive water Resource Division III ,Baran Construction of Hathiyadeh Medium Irrigation Project in Baran District. Proposal no :- FP/RJ/IRRIG/27263/2017)

संदर्भ :- अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 3777 दिनांक 24.12.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आप द्वारा जारी ई.डी.एस दिनांक 24-12-2024 से चाही गई रिपोर्ट संलग्न प्रेषित है।

SN	EDS Date 24.12.2024	Reply
1.	पालना अपूर्ण। यूजर एजेंसी द्वारा जल रागागम योजना प्रस्तुत की गई है किंतु योजना उप वन संरक्षक एवं आप द्वारा तकनीकी रूप से जांच किया जाकर अनुमोदित हेतु अभिशंषा नहीं की गई है योजना में वृक्षारोपण मॉडल में दरे सही नहीं है वृक्षारोपण कहां होगा स्पष्ट नहीं है 126 वर्ग किमी क्षेत्र में किस आधार पर एनीकट, गेबियन स्ट्रेक्चर की संख्या आंकलित की गई है आदि को स्पष्ट नहीं किया गया है	अनुमोदित कैट प्लान में प्रस्तावित कार्य विभागीय मॉडल अनुसार ही प्रस्तावित है। उक्त कैट प्लान को अनुमोदन हेतु वर्ष 2020 में तैयार किया गया था एवं वृक्षारोपण माडल की दरे वर्ष 2020 की बी.एस.आर के अनुसार ली गई है। इस कैट प्लान के तहत उपचार की आवश्यकता वाला कुल क्षेत्रफल 121.65 वर्ग कि.मी. कुल कैचमैन्ट क्षेत्र 202.75 वर्ग कि.मी. के 60 प्रतिशत से अधिक के हिस्से को शामिल कर तैयार किया गया है।
2	पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में पूर्व में उप वन संरक्षक बारां द्वारा प्रस्तावित गैर वन भूमि में जूलीफ्लोर की सघनता होने के कारण परिभ्रंषित वन भूमि DFL पर वृक्षारोपण चयनित किया गया था।किन्तु आप द्वारा प्रेषित प्रति उत्तर में उप वन संरक्षक द्वारा गैर वन भूमि में ही जूलीफ्लोर हटाए जाने के बाद वृक्षारोपण किया जाना अंकित किया गया है उक्त बदलाव का कारण स्पष्ट नहीं है बार–बार सूचनाओं बदलाव कर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है जिससे स्पष्ट किया जाना है प्रकरण में स्थल उपयुक्त अनुसार ही वृक्षारोपण योजना संलग्न की जानी प्रस्तावित है एवं पोर्टल पर अन्य योजनाएं जो संबंध नहीं है उन्हें हटाया जाना प्रस्तावित है जूलीफ्लोर हटाए जाने के संबंध में योजना के अंतर्गत राशि का प्रावधान नहीं रखा गया है क्षेत्र में वन्यजीवों के दृष्टिकोण से जूलीफ्लोर हटाने के संबंध में तकनीकी नोट भी संलग्न नहीं किया गया है।	उक्त परियोजना के बदले दी गई गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जाना है (एन.एफ.एल) चूकिं दी गई भूमि पर जूली फ्लोर की सघनता होने से, पहले समस्त जूलीफ्लोरा मौके से हटाया जाएगा तदुपरांत ही क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जाएगा किसी प्रकार का डी.एफ.एल कार्य नहीं किया जाएगा। जूलीफ्लोरा हटाने के लिये अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नही है। विभागीय माडल अनुसार सी.ए स्कीम संलग्न कर दी गई है। जो कि इस हेतु पर्याप्त बजट रहेगा।
3	पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में ग्रामवार प्राप्त गैर वन भूमि का विवरण संलग्न नहीं किया गया है साथ ही वन संरक्षण एवं वन संवर्धन नियम 2023 के	प्रस्ताव के साथ गैर वन भूमि का विवरण संलग्न कर दिया गया है। तथा छत्र घनत्व प्राप्त गैर वन भूमि का 0.3 से कम है।

CamScanner

	नियम 13 के अनुरूप छत्र घनत्व के अनुसार कोई टिप्पणी नहीं की गई है।	
4	पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना मे क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना नवीन क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना संलग्न की गई है जिसका कारण स्पष्ट नहीं है साथ ही पूर्व मे प्रेषित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना के दस्तावेजो को भी पोर्टल से नहीं हटाये गये है।	संपूर्ण भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एन.एफ.एल ही करवाया जाएगा डी.एफ.एल से संबंधित सभी दस्तावेज हटा दिए गए है
5	पालना अपूर्ण। यूजर एजेंसी द्वारा पार्ट I मे मे तकनीकी रिपोर्ट सलग्न की गई है किंतु उसमें वर्तमान फसल पैटर्न कुल लाभान्वित जनसंख्या भविष्य मे फसल में बदलाव एवं इससे होने वाले सामाजिक आर्थिक लाभों को सूचना का अभाव है।	उक्त परियोजना के कियान्वयन से लगभग 54 गांवो की 6885 हेक्टर भूमि के फसल चक्र मे सार्थक बदलाव होगा। पूर्व मे जहा इस भूमि पर केवल वर्षा आधरित खरीफ फसल जैसे बाजरा, ज्वार इत्यादी की खेती की जाती थी। इस परियोजना के कियान्वन से वर्षा आधारित खरीफ फसल की उत्पादकता में वृद्धी होगी, साथ ही रबी की फसल गैहू चना सरसो इत्यादी हेतु अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र की काश्तकारो की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं क्षेत्र की 25 हजार अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार सहित लगभग 80000 जनसंख्या के समाजित एव आर्थिक स्तर में वृद्धी होगी क्षेत्र के भू जल स्तर में वृद्धी से परम्परागत जल स्त्रोंतो का भी दोहन कम होगा।

संलग्न उपरोक्तानुसारः–

(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/ 556–56 दिनांक 3-2-2025
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खंड बारां।

(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां

क्रमांक–एफ 4(5)( )राजस्व/22/ दिनांक 2022

आदेश

अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत्त बारां के पत्रांक दिनांक 29.07.2022 अनुसार हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में आ रही 44 हैक्टर वन भूमि के समतुल्य अन्य राजकीय सिवायचक भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तुत कर आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त 44 हैक्टर वन भूमि हथियादेह परियोजना हेतु शेष अर्थात् राजस्व भूमि 290.50 हैक्टर में से गोनेरा बैराज के डूब में आती भूमि है। जिसका विवरण निम्नानुसार है

क.सं.	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)
1		02	2.252
2		08	3.602
3	पाटून्दा	10	1.363
4		1025	0.805
5		1026	1.518
6		1109	0.500
7		1113	2.299
8		1114	0.382
	योग		12.721
1		54	3.10
2		55	5.23
3	तीसोद	56	3.928
4		57	2.271
5		86	4.15
6		96	5.05
7		98	4.13
8		99	3.42
	योग		31.279
	कुल योग		44.00

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक एफ–4(5)( )राजस्व/2020/3483–98 दिनांक 23.10.2020 से Eastern Rajasthan Canal Project (E.R.C.P.) के अन्तर्गत गोनेरा बैराज हेतु 119.409 हैक्टर राजकीय सिवायचक भूमि दी गई थी। अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन नवनेरा परियोजना खण्ड प्रथम कोटा ने अपने पत्र क्रमांक 1099 दिनांक 29.09.2022 से अवगत कराया की गोनेरा बैराज के डूब में आती बारां जिले की वन भूमि 75.409 हैक्टर है, जबकि 119.409 हैक्टर आवंटित की गई है, फलस्वरूप शेष 44 हैक्टर भूमि वन विभाग के पास सुरक्षित है, जिसको हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु समायोजित करने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है। उक्त 119.409 हैक्टर वन भूमि का कब्जा/दखल वन विभाग को दिनांक 31.12.2020 तथा दिनांक 11.11.2020 को संभला दिया गया है। उक्त क्रम में वन विभाग, बारां के पत्र क्रमांक 19551 दिनांक 08.12.2021 से अवगत करवाया गया कि वन विभाग को 44 है० अति० भूमि आवंटित हो गई है।

अतः वन विभाग को गोनेरा बैराज हेतु पूर्व में दी गई 119.409 हैक्टर भूमि में से 44 हैक्टर भूमि का समायोजन हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना तहसील किशनगंज, जिला बारां में किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदत्त की जाती है।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,
बारां

क्रमांक–एफ–4(5)( )राजस्व/22/11066–77 दिनांक 17.11.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर
2. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन, वृत्त कोटा।
3. उप वन संरक्षक, बारां।
4. अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त, बारां।
5. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड तृतीय, बारां।
6. उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज/शाहबाद/अंता।
7. तहसीलदार, किशनगंज/शाहबाद/अंता।
8. रक्षित पत्रावली।

अति० जिला कलक्टर
बारां

CamScanner